न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— धारा सिंह मीणा, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—29/2021/अपील

दिलशाद पुत्र स्व0 मुश्ताक अली जाति मुसलमान कायमखानी निवासी किरड़ोली तहसील धोद जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 शोकत अली पुत्र फुले खां
2 महमुद खां पुत्र सबदल खां
3 मोहम्मद अयुब पुत्र यासीन खां
4 सरताज अली पुत्र मुनीम खां
समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासी किरड़ोली तहसील धोद जिला सीकर
5 तहसीलदार महोदय तहसील धोद जिला सीकर
6 दिलशाद पुत्र नसीरूदीन खां जाति मुसलमान निवासी किरड़ोली तहसील धोद जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामांतकरण सं. 184 दिनांक 03.12.1995 द्वारा तहसीलदार सीकर

वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत
वकील रेस्पोडेंट श्री सागरमल धायल

निर्णय **दिनांकः—26.11.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किरडोली तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 74/1162 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 172 रकबा 2.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 2.2400 हैक्टर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.6800 हैक्टर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.4500 हैक्टर खसरा नम्बर 413 रकबा 0.47 हैक्टर अवस्थित है उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अपीलान्ट के पुर्वजों के समय से ही अपीलान्ट व उसके भाई काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमियों में 1/5 हिस्सा आयशा पुत्री सहबाज खॉ का विरासत के आधार पर चला आ रहा था उक्त भूमि के 1/5 भाग की भूमि को सन् 1976 में ही अपीलान्ट के दादा व उनके भाईयों के नाम कर दी गई परन्तु उक्त लिखावट के आधार पर आयसा के हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट व उनके पुर्वजों के नाम नहीं हो सकी, परन्तु उक्त भूमियों पर इनका कब्जा अपीलान्ट के पुर्वजों के समय से ही चला आ रहा है उक्त मु0 आयसा ने गलत खातेदारी के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं01 ता 4 द्वारा एक नुमाईशी विक्रय बनवा लिया गया। उक्त भूमियों का एक दावा बाबत बंटवारा हेतु सहायक कलेक्टर महोदय द्वितीय सीकर के यहा बअनुवानी गन्नी खॉ बनाम बशीर खॉ आदि मु0 नं0 317/2015 प्रस्तुत किया जो अभी विचाराधीन है जिसमें रेस्पोडेन्टान सं0 1 ता 4 द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उक्त दावा में उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर पक्षकार बन गये तत्पश्चात सहायक कलेक्टर महोदय द्वितीय सीकर द्वारा दिनांक 20.02.2020 को बिना पुरे दावा की सुनवाई किए बिना ही तहसीलदार महोदय धोद जिला सीकर को रेस्पोडेन्टान सं0 1 ता 4 के नाम नामान्तरकरण

अति. जिला कलक्टर, सीकर

तस्दीक करने के आदेश देने विरूद्ध कानून पारित कर दिये तत्पश्चात तहसीलदार महोदय धोद जिला सीकर द्वारा एक तथाकथित व्यक्ति अब्दुल रशीद पुत्र गन्नी खाँ (उक्त व्यक्ति उपरोक्त वर्णित दावे के वादी का पुत्र है) ने एक झूठा शपथ पत्र इस बाबत दिया कि उक्त आराजिआत बाबत कोई मुकदमा लम्बित नहीं है को सही मानकर उसके आधार पर नामान्तरकरण सं0 1941 दिनांक 28.07.2020 को भरा जाकर दिनांक 30.07.2020 को तहसीलदार धोद द्वारा स्वीकार कर दिया गया। चुनोतीग्रस्त निर्णय दिनांकित 30.07.2020 पारित करने से पूर्व एवं नामान्तरकरण सं0 1941 दिनांकित 28.7.2020 भरे जाने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया जबकि उक्त कृषि भूमियों में अपीलान्ट व उनके भाईयों का कब्जा काश्त है जिसमें किसी भी दीगर व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त नही होने के बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सूचना व नोटिस दिये चुनोतीग्रस्त निर्णय व नामान्तरकरण सं0 1941 दिनांकित 28.07.2020 भरा जाकर दिनांक 30.07.2020 को स्वीकार कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोद को माननीय सहायक कलक्टर महोदय द्वितीय सीकर द्वारा बिना पूरे दावा की सुनवाई किए बिना ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 के अन्यथा प्रभाव की वजह से अपने पत्र क्रमांक राजस्व/100/2020 दिनांकित 20.02.2020 जारी कर दिया जिसमें एक व्यक्ति जो इस दावे में वादी का पुत्र है से शपथ पत्र लेकर जिसमें उपरोक्त भूमियों का न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं होने का उल्लेख करवाकर तथा मौके पर अपीलान्ट व उनके भाईयों के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं होने की जांच किए बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त जांचे पूर्ण होने से पूर्व ही चुनोतीग्रस्त नामान्तरण सं0 1941 भर दिया गया जो निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित भूमियों के सम्बन्ध में एक दावा सहासक कलक्टर महोदय द्वितीय सीकर के यहा गन्नी खाँ बनाम बशीर खाँ आज भी विचाराधीन होते हुये योग्य अधिनस्थ तहसीलदार महोदय ने बिना किसी जांच के नामान्तकरण संख्या 1941 तस्दीक कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 के विरूद्ध गन्नी खाँ बनाम बशीर मु0 नं0 317/2015 व स्थगन आदेश आवेदन माननीय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष लम्बित है व स्थगन आदेश दिनांक 23.09.2020 को वादी प्रार्थी के आवेदन पर ही खारिज किया गया है जबकि उक्त नामान्तरकरण दिनांक 30.07.2020 को भरा गया है जिसकी जानकारी भी सहायक कलक्टर महोदय द्वितीय सीकर के पत्र द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को भेजी हुई है जबकि मुकदमा विचाराधीन होते हुये तथा उसकी सम्पूर्ण सुनवाई किए बिना ही नामान्तरकरण सं0 1941 भरे जाने में सख्त कानूनी भूल की है। विवादित नामान्तरकरण सं0 1941 दिनांकित 30.07.2020 केवल मात्र सहायक कलक्टर महोदय द्वितीय सीकर के पत्र को आधार मानकर व तथाकथित व्यक्ति का शपथ पत्र लेकर बिना मौके व कब्जे का अवलोकन किए ही बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही स्वीकार किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनोतीग्रस्त निर्णय दिनांक 30.07.2020 व उसके आधार पर भरा गया नामान्तरकरण 1941 दिनांकित 28.07.2020 की पूर्व में अपीलान्ट को कोई जानकारी नही रही दिनांक 13.03.2020 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट को बताया की आपकी उक्त जमीन में मेरे व रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 4 के पक्ष में नामान्तरकरण 1/5 हिस्से का भर दिया गया है जिस पर अपीलान्ट द्वारा तहसील धोद में मालुम किया तो इस तथ्य की जानकारी होने पर नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिस पर अपीलार्थी को नकल दिनांक 16.03.2021 को प्राप्त हुई अतः जानकारी से अपील अन्दर मियाद सावधि प्रस्तुत है। तथा इसके लिए आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 30.07.2020 व जिसके आधार पर भरा गया नामान्तकरण संख्या 1941 दिनांक 28.07.2020 निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पो. ने धारा 96 सीपीसी. व आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम पर आपत्ति जाहीर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर अपीलांट विवादग्रस्त आराजियात में सहकृषक खातेदार काश्तकार है एवं पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन रहते हुए अपीलांट पक्षकार रहा है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। हितबद्ध पक्षकार होने से प्रकरण में धारा 96 सीपीसी. की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी के अभाव में अपील खारिज करने बाबत खारिज किया जाता है। आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम के सम्बंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.03.2021 को नकल प्राप्त होना अंकित किया है एवं चुनौतिग्रस्त अपील दिनांक 23.06.2021 को प्रस्तुत की गई है। अप्रेल एवं मई, 2021 में कोरोना की वजह से पूर्ण रूप से लॉकडाउन होने की वजह से पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आवेदन धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने मूल अपील के सम्बंध में दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलाधीन नामांतकरण दिनांक 30.07.2020 को स्वीकार किया गया है। विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलांट पूर्वजों के समय से 1/5 हक हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजियात के बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर, सीकर एवं सिविल न्यायालय में पूर्व में वाद विचाराधीन होने बाबत निवेदन किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर, सीकर का स्थगन आदेश होने के बावजूद अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक किये जाने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. ने दौराने बहस निवेदन किया कि चुनौतिग्रस्त नामांतकरण सहायक कलक्टर, सीकर के आदेश दिनांक 20.02.2020 की पालना में तस्दीक किया गया है। चुनौतिग्रस्त नामांतकरण भरते समय हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.07.2020 को नामांतकरण भरा गया एवं हल्का गिरदावर द्वारा दिनांक 29.07.2020 को रिपोर्ट किये जाने के उपरांत अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.07.2020 को नामांतकरण तस्दीक किया गया है। जो कि विधिवत प्रकिया अपनाते हुए तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक करते समय विवादग्रस्त आराजियात के बाबत किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं था। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.07.2020 को भरा जाकर हल्का गिरदावर द्वारा दिनांक 29.07.2020 को रिपोर्ट किये जाने के बावजूद योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.07.2020 को नामांतकरण स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामांतकरण न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर के आदेश कमांक 100 दिनांक 20.02.2020 के द्वारा तस्दीक किया गया है। न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर द्वारा पारित आदेश में अंकित किया गया है कि "माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। हस्तगत विचाराधीन प्रकरण बंटवारे का वाद है जिसमें आवेदनकर्ता प्रतिवादी के रूप में पक्षकार है। आवेदनकर्ताओं का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ है चूंकि वाद बंटवारे का है अन्य कोई सहायता वादी द्वारा नहीं चाही गई है। कानूनन आवेदनकर्ता विक्रेता के फूट स्टेप पर खातेदार बनेंगे जिससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि बंटवारे में जो हिस्सा विक्रेता को मिलना था वही क्रेताओं को मिलना है। अतः क्रेताओं का नाम खातेदारी में दर्ज कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये।" चूंकि उक्त आदेश में क्रेताओं के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में भी अपीलांट क्रेता होने का दावा कर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

रहा है। चुनौतिग्रस्त नामांतकरण न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर के जिस आदेश दिनांक 20.02.2020 की पालना में तस्दीक किया गया है उक्त आदेश का सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र की आदेशिका के अवलोकन करने पर उसमें कहीं अंकन नहीं किया गया है। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर के न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र अनुवानी गन्नी खां बनाम बशीर खां प्रकरण संख्या 86/2015 में दिनांक 01.09.2015 को विवादग्रस्त आराजियात के बाबत राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु स्थगन आदेश पारित किया हुआ है एवं दिनांक 03.12.2019 की आदेशिका के द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय तक पत्रावली में अग्रीम कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण होने के उपरांत दिनांक 18.09.2020 को पत्रावली संख्या 86/2015 को पुनः पेशी में लिया गया। अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक करने के सम्बंध में सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर के न्यायायल द्वारा दिनांक 20.02.2020 को जो आदेश जारी किया गया है उक्त आदेश दिनांक 20.02.2020 का आदेशिका में कहीं अंकन नहीं है एवं उक्त पत्रावली में दिनांक 03.12.2019 को कार्यवाही स्थगित किये जाने के उपरांत दिनांक 18.09.2020 को पुनः पेशी में लिया गया है जबकि नामांतकरण तस्दीक किये जाने के सम्बंध में पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 को जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र स्थगन संख्या 86/2015 में प्रार्थी द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के सम्बंध में दिनांक 23.09.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 23.09.2020 को स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलाधीन नामांतकरण दिनांक 30.07.2020 को तस्दीक किया गया है। इस प्रकार चुनौतिग्रस्त अपीलाधीन नामांतकरण स्थगन आदेश के दौरान भरा गया है एवं न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 में क्रेताओं के नाम खातेदारी दर्ज होने का अंकन किया गया है जबकि किस क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करनी है इस सम्बंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार धोद द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 1941 दिनांक 30.07.2020 को इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार धोद को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सम्बंध में विवादग्रस्त आराजियात के बाबत कब्जे एवं मौके के सम्बंध में भली–भांति जांच की जाकर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है अथवा नही, के सम्बंध में विधिवत जांच करते हुए नियमानुसार पुनः नामांतकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भारा सिंह मीणा)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर